

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.10250 of 2025

=====

Priyanka Kumari W/o Dr. Madan Mohan Das, R/o Mohalla- Khalona Chak,
P.S.- Lakhi Sarai, Dist.- Lakhi Sarai.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Health Department, Govt. of Bihar, 1st floor, Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar.
2. The Director in - Chief, Health Dept., Patna.
3. The Bihar Staff Selection Commission through its chairman, Patna.
4. The Civil Surgeon cum Chief Medical Officer, Araria.
5. The In-Charge Medical Officer, Primary Health Centre, Raniganj, Araria.
6. The District Magistrate, Araria.
7. The Regional Additional Director, Health Services, Purnia Div., Purnia.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr.Manoj Kumar, Advocate
For the Respondent/s	:	Mr.Addl. Advocate General (13)
For BSSC	:	Mr. Rana Vikram Singh, Advocate

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE DR. ANSHUMAN

ORAL ORDER

2 07-07-2025 Learned counsel for the petitioner submits that due to an inadvertent mistake in the array of parties, respondent no. 2 has been incorrectly mentioned as “Director General” instead of “Director-in-Chief.” Accordingly, learned counsel for the petitioner is permitted to carry out necessary correction in the cause title of the writ petition during the course of the day.

2. Heard learned counsel for the petitioner, learned counsel for the State and learned counsel for the Bihar Staff Selection Commission.

3. Learned counsel for the petitioner further submits



that the present writ petition has been filed seeking transfer to the place of posting of her husband. In this regard, the petitioner has submitted a representation before the Director-in-Chief, Health Services, Government of Bihar, Patna, as contained in Annexure-P/4 to the writ petition. However, no decision has been taken thereon till date.

4. Learned counsel for the State submits that the Cabinet Secretariat Department, Government of Bihar, has issued a circular vide Letter No. 881 dated 03.06.2009, whereby all Principal Secretaries and Secretaries of various departments have been directed to adhere to the policy guidelines relating to appointment and posting of husband and wife, in cases where both are government employees.

5. Learned counsel for the Bihar Staff Selection Commission also refers to the said Letter No. 881 dated 03.06.2009, which mandates coordinated posting of spouses employed under the State Government, wherever feasible.

6. In view of the above, the Director-in-Chief, Health Services, Department of Health, Government of Bihar, is directed to consider the petitioner's representation (Annexure-P/4) in light of the provisions contained in Letter No. 881 dated 03.06.2009, as extracted hereinbelow :-



पत्रांक-मं०-०१/आ०-२८/२००६ ८८१

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ०३ जून, २००९

विषय :- सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में बनायी गयी नीति एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु मार्गदर्शन।

महाराज,

आप अवगत हैं कि सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में अद्यतन संशोधित कार्यपालिका नियमावली के नियम २२(३) से २२(६) में प्रावधान किए गए हैं। कतिपय मामलों के संदर्भ में नियम ३२(क) में भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या ४३४ दिनांक ०१.०३.०७ तथा संकल्प संख्या १६९७ दिनांक २८.०५.०८ द्वारा इसी संदर्भ में सरकार के नीतिगत निर्णय संसूचित हैं। विभाग का यह दायित्व है कि सभी स्थानांतरण एवं पदस्थापन में उपर्युक्त नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

२. विभागों द्वारा वर्ष २००८ के जून माह में किए गए स्थानांतरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गयी थी। समीक्षा के बाद यह तथ्य सामने आया था कि कई मामलों में नियमों का पालन नहीं हुआ था। अतः स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से उपर्युक्त वर्णित नियमों एवं संकल्पों के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन नीचे दिए जा रहे हैं :-

(१) सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में एक बार जून माह में ही किया जाना है। जून माह से भिन्न माह में मात्र प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण सक्षम स्तर के एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के अनुमोदन से ही किया जाना है। किन्तु कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से होने वाले स्थानांतरणों में भी स्पष्ट कारण संचिका पर अंकित होने चाहिए। कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण/पदस्थापन के संदर्भ में आगे की कड़िका में और स्पष्ट मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं।

(२) गृह जिला में पदस्थापन — सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में ही पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। इससे भिन्न सभी मामलों में, जिला सम्वर्ग को छोड़कर, किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों को गृह जिला का पद नहीं माना जाएगा।

(३) तीन वर्षों की सेवावधि पूरी होने के पश्चात् ही स्थानांतरण किए जाने हैं। यदि किसी विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिए किसी पद विशेष के लिए स्थानांतरण हेतु सेवावधि दो वर्षों की निर्धारित की गयी हो, तो वही लागू होगी।

स्थानांतरण हेतु निर्धारित सेवावधि वर्ष २००९ के संदर्भ में ३० जून, २००९ तक ही पूरी होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कर्मचारी का पूर्व पद पर पदस्थापन ०२ जुलाई, २००६ (जहां सेवावधि दो वर्षों की है वहां ०२ जुलाई २००७) को या उसके बाद हुआ हो, तो वैसे कर्मियों की सेवावधि स्थानांतरण हेतु पूरी नहीं मानी जाएगी।

(४) सेवावधि सामान्यतः तीन वर्ष (आपवादिक स्थिति में विशेष आदेश से दो वर्ष) पूरी होने के पूर्व स्थानांतरण/पदस्थापन के आपवादिक मामलों में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाए :-

(१) प्रशासनिक कारण :

क) प्रोन्नति होने पर अथवा वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर पदस्थापन किए जा सकते हैं।

ख) न्यायालय के आदेश से, यदि आवश्यक हो, स्थानांतरण/पदस्थापन किए जा सकते हैं।



- Sr. Advocate
- ग) प्रतीक्षारत कर्मियों अथवा दूसरे विभाग से सेवा प्राप्त कर्मियों का पदस्थापन किया जा सकता है।
 घ) यदि कोई अन्य प्रशासनिक कारण हो, तो उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख संधिका में अन्वेष्य होना चाहिए। ऐसे कारण औचित्यपूर्ण होने चाहिए। यदि असंतोषप्रद कार्य के कारण स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा है, तो वैसे कर्मियों का पदस्थापन कम महत्व के स्थान पर ही किया जाना चाहिए।
 प्रशासनिक कारणों से किए जा रहे ऐसे स्थानांतरणों के मामलों में भी पूर्ण पारदर्शिता बरतना जाना आवश्यक होगा।
 ङ) यदि उच्चतर पद पर पदस्थापन आवश्यक हो, और उस वेतनमान के पदाधिकारी उपलब्ध न हों, तो वैसे पद पर वित्त विभाग के परिपत्रके आलोक में ही पदस्थापन किया जाना चाहिए।
- (II) अभ्यावेदन के आधार पर :
- सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अभ्यावेदन के मामलों में भी कारण यथेष्ट और औचित्यपूर्ण होने पर ही, सेवावधि पूरी होने के पूर्व, स्थानांतरण/पदस्थापन किए जा सकते हैं। इनमें सामान्यतः निम्न प्रकार के मामले आएंगे :-
- क) सेवानिवृत्ति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो।
 ख) पति एवं पत्नी का एक जगह पदस्थापन का अनुरोध हो।
 ग) कर्मचारी स्वयं गंभीर अस्वस्थ हो।
 घ) सेवक के निकट परिवार के किसी सदस्य (उसकी पत्नी या पति, उनके बच्चे, उसके माता-पिता अथवा, पत्नी अथवा पति, के माता-पिता) की गंभीर अस्वस्थता।
- (5) कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची-4 के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन स्थानांतरण/पदस्थापन के आदेश जारी किए जा सकते हैं। कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 के तहत इनसे भिन्न स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया से संबंधित कोई आंतरिक आदेश निकालने के पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शनों का पूर्ण पालन करते हुए कार्यपालिका नियमावली के नियमों एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा निर्गत संकल्पों के प्रावधानों के तहत ही स्थानांतरण/पदस्थापन अपने विभाग में सुनिश्चित किया जाय।
4. यह भी अनुरोध है कि कार्यपालिका नियमावली के नियमों, मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्पों तथा उपर्युक्त मार्गदर्शनों से अपने विभागीय मंत्री को भी अवगत कराने की कृपा करें, जिससे उन्हें निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

विश्वासभाजन,

31/6/09

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं०-01/आर०-20/2006-881

पटना, दिनांक 03 जून, 2009

प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय राज्य मंत्रिगण के आप्त सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे माननीय मुख्य मंत्री/माननीय उप मुख्य मंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री को उपर्युक्त सभी प्रावधानों एवं मार्गदर्शनों से अवगत करा देंगे।

31/6/09

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

After considering the aforesaid resolution he/she

shall take an appropriate decision thereon within a period of
 ninety days from the date of receipt/production of a copy of this



order.

7. Till a decision is taken on the said representation, the petitioner shall not be disturbed from her present place of posting.

(Dr. Anshuman, J)

Ashwini/-

U			
---	--	--	--

